नम्बर मुकदमा 88/2025
जपमीत बनाम गुरमीत व अन्य

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :— विविध प्रकारण संख्या 88/2025

1. जपमीत सिंह पुत्र श्री गुरमीत सिंह जाति जटसिख उम्र 7 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता रविन्द्र कौर पत्नी श्री गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी 6ए छोटी पैगोडा रिसोर्ट के सामने, श्रीगंगानगर ।

2 — अरमीत कौर पुत्री पुत्री श्री गुरमीत सिंह जाति जटसिख उम्र 10 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता रविन्द्र कौर पत्नी श्री गुरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी 6 ए छोटी पैगोडा रिसोर्ट के सामने, श्रीगंगानगर ।

— — प्रार्थीगण

बनाम

1. गुरमीत सिंह पुत्र श्री मनजीतसिंह जाति जटसिख निवासी 6ए छोटी पैगोडा रिसोर्ट के सामने, श्रीगंगानगर।
2. राज सिंह भामरा पुत्र श्री मनजीत सिंह भामरा जाति रामगढिया निवासी 9 इन्डस्ट्रीयल एरिया, श्रीगंगानगर।
3. संदीप सन्धु पुत्र श्री हरविन्द्र सिंह सन्धु जाति जटसिख निवासी 20 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. सुखपाल सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नम्बर 503 कॉलोनी सैक्टर 28 फरीदाबाद (हरियाणा) ।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. काश्त. अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री तेजा सिंह — — प्रार्थीगण
2. श्री प्रदीप सिहाग — — अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:37:09 IST
Reason: SelfAttested

—:: आदेश ::—

[illegible]ांक :—08.09.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 [illegible] के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस [illegible] है कि अन[illegible] वाद श्रीमान न्यायालय में पेश हो चुका है जिसके तथ्यों को देखते हुए वाद के डिग्री होने की प्रबल सम्भावना है। तथ्यों की पुनरावर्ती न हो [illegible]लिए इस आवेदन—पत्र को दावे का अभिन्न अंग माना जाकर उसके साथ ही पढा जावे। आवेदकगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

के पिता गुरमीत सिंह (अनावेदक सं. 1) के नाम चक 6 ए छोटी में खाता संख्या 21/17 मुरब्बा नम्बर 30 किला नम्बर 11/3 की .139 है. कि.नं. 18/2 की .127 है. कि.नं. 19 सालम, कि.नं. 23 की 123 है. कुल 0.646 है. कृषि भूमि व चक 6 ए की खाता सं. 12/22 मुरब्बा नम्बर 33 में 4.6930 है. भूमि थी जो जदी जायदाद थी। गुरमीत सिंह गलत लत में पड़ गया था, उसने बिना किसी विधिक अधिकार के भिन्न भिन्न समय में अनावेदकगण सं. 2 व 3 को 3.3390है. व अनावेदक सं. 4 को 1.4920 है. भूमि भिन्न भिन्न समय में बेच दी। उक्त कृषि भूमि में से गुरमीत सिंह ने 860 हिस्सा दलवीर सिंह को बेच दिया, दलवीर सिंह ने आशा कालड़ा को बेच दिया तथा आशा कालड़ा ने अनावेदकगण सं. 3 व 4 को बेचान कर दिया। वादग्रस्त भूमि जदी जायदाद थी, बेचने का अधिकार नहीं रखता था लेकिन फिर भी अपने हिस्से से अधिक बेच दी। जिसकी जमाबन्दी शामिल वाद–पत्र है। वादग्रस्त भूमि चक 6 ए मुरब्बा नम्बर 30 व 33 की अनावेदक सं.1 को अपने दादा गुरनाम सिंह से विरासत में आयी थी जो जदी जायदाद की श्रेणी में आती है। आवेदकगण गुरमीतसिंह के पुत्र व पुत्री हैं जिनका वादग्रस्त भूमि में जन्म से अधिकार था। गुरमीत सिंह जदी जायदाद को बेचने का अधिकारी नहीं था जबकि उसने मुरब्बा नम्बर 33 की तमाम भूमि जो 24 बीघा 10 विस्वा को खुर्द बुर्द करके बेच दी है। जो बैयनामें हुए हैं वे नल एण्ड वॉईड है जिनका आवेदकगण के हितों पर कोई असर नहीं है। आवेदकगण का इस पर जन्म से 1/3, 1/3 प्रत्येक का हिस्सा बनता है। इसी आधार पर आवेदकगण अपने अधिकारों की घोषणा व बंटवारा की डिग्री प्राप्त करने के अधिकारी है। आवेदकगण के दादा के पिता स्व. गुरनाम सिंह पुत्र मुन्शासिंह वाके चक 6 ए छोटी के मुश्तर्का खाता के मुरब्बा नम्बर 29, 30, 33 की 49.03 बीघा कृषि भूमि में से निस्फ हिस्सा अर्थात 24.13 बीघा दिनांक 11–6–1960 को खरीद की थी तथा इसी मुश्तर्का खाता में पुनः 3.09 बीघा का क्रयनामा दिनांक 16–5–1972 को किया गया। इस प्रकार गुरनाम सिंह के पास 28.02 बीघा रकबा खातेदारी था। गुरनाम सिंह के पास जो कृषि भूमि थी उसकी तथाकथित वसीयत 25–6–2003 जो बिना पंजीकृत थी, निष्पादित कर दिया। नामान्तरण अपंजीकृत वसीयत के आधार पर इंतकाल नम्बर 188 दिनांक 18–3–2005 जो किया वह शून्य व प्रभावहीन था। प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि है। प्रतिवादी सं. 1 ने बिना किसी विधिक आवश्यकता के दलवीर सिंह को दिनांक 24–5–2016 को .860 है. बेचान की और दलवीर सिंह ने यह भूमि आशा कालड़ा को बेचान कर दी। सुशील कुमार को दिनांक 22–6–2016 को .253 है., दानाराम को 19–9–2016 को 0.506 है., राज सिंह व सन्दीप सन्धु को 3.3390 है. बेचान कर दी और सुखपाल सिंह को 1.4920 है. भूमि बेचान कर दी। जबकि वह बेचने का अधिकार नहीं रखता था। आवेदकगण के हक व अधिकारों पर बैयनामा प्रभावशून्य है। अनावेदक सं.1 द्वारा प्रश्नगत भूमि 4.693 है. में से समस्त भूमि का अन्तरण कर दिया है और अन्य भूमि जो मुरब्बा नम्बर 30 में पड़ती है उसे भी बेचने की फिराक में है। यदि वह भूमि भी बिक गयी तो आवेदकगण को नापुरा होने वाला नुकसान होगा, आयन्दा मुकदमेंबाजी बढेगी तथा दावा पेश करने का मकसद ... ऐसी सूरत में आवेदकगण, अनावेदक ... लम्बनकाल के दौरान इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने ... कि अनावेदक सं. 1 वादग्रस्त भूमि को वाद–पत्र के लम्बनकाल के दौरान रहन,

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:37:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

बैय व दीगर तरीके से मुन्तकिल करने से बाज व ममनू रहे। प्रथम दृष्टया
केस, सुविधा का संतूलन व अपरिमेय क्षति का बिन्दु आवेदकगण के पक्ष में
साबित है। अतः आवेदन–पत्र अं. धा. 212 आर टी एक्ट मय शपथ–पत्र पेश
करके अर्ज है कि वाद–पत्र के लम्बनकाल के दौरान अनावेदकगण के विरूद्ध
अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि
चक 6 ए खाता सं. 21/17 मुरब्बा नम्बर 30 में 0.6460 है. व व खाता संख्या
127/20 मुरब्बा नम्बर 33 में 1.4920 है. व खाता संख्या 20/16 मुरब्बा
नम्बर 33 में 3.3390 है. कुल 4.6930 है. को अन्यत्र रहन, बैय अथवा दीगर
तरीके से मुन्तकिल करने से बाज व ममनू रहें ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वाद पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर उसके सफल होने की लेश मात्र भी सम्भावना नहीं है अपितु वाद पत्र प्राथमिक रूप से ही विधि द्वारा बाधित होने के फलस्वरूप निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित तथ्यो में गुरमीत सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि संबंधी तथ्य स्वीकार है परंतु उक्त भूमि गुरमीत सिंह को जद्दी जायदाद (पैतृक) के रूप में प्राप्त न होकर अपने दादा स्व० गुरनाम सिंह पुत्र मंशा सिंह से जरिये वसीयत दिनांक 25.06.2023 प्राप्त हुई थी जिसमें प्रार्थीगण का विधिनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में किसी भी प्रकार से कोई हक व अधिकार नहीं बनता है अर्थात उक्त सम्पत्ति अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति न होकर स्वयं की एकल अधिकार की सम्पत्ति है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को साधिकार एकल स्वामी के रूप में विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय की गई है। दलवीर सिंह, आशा कालडा संबंधी तथ्य साक्ष्य एवं पक्षकार संयोजित न करने के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में अंकित तथ्य अस्वीकार है। प्रश्नगत सम्पत्ति पैतृक कृषि भूमि की श्रेणी में न आकर अप्रार्थी संख्या 1 की एकल अधिकार की सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार सृजित नहीं होता है। केवल मात्र वादपत्र में रचित करने से कोई पंजीबद्ध दस्तावेज प्रभावशून्य घोषित नहीं होता है बल्कि उक्त पंजीबद्ध दस्तावेजात को सक्षम न्यायालय से प्रभावशून्य घोषित करवाना पडता है अर्थात जब तक पंजीबद्ध दस्तावेज अस्तित्व में है प्रार्थीगण वैसे भी विधिनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। द्वितीय विधिनुसार पिता के जीवनकाल मे उसे प्राप्त सम्पत्ति में वह चाहे किसी भी रूप में हो उसकी संतान प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। इस प्रकार से प्रार्थीगण प्रश्नगत सम्पत्ति में माननीय न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रश्नगत सम्पत्ति पैतृक कृषि भूमि नहीं है बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये वसीयत अपने दादा से प्राप्त हुई [illegible] सम्पत्ति की श्रेणी में आती है। प्रार्थीगण द्वारा इस चरण में अंकित त[illegible] अंकित किए गए है जो अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की [illegible] अंकित वसीयत दिनांक 25.06.2003 निष्पादित होना तथा उक्त वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज होना स्वीकार है परंतु वसीयत एवं इंतकाल प्रभावहीन होना अस्वीकार है। वसीयत के आधार पर जो अप्रार्थी संख्या 1 के [illegible] इंतकाल दर्ज किया गया है वह विधिनुसार सही अंकित किया गया है तथा उक्त वसीयत को

अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:37:09 IST
Reason: SelfAttested

Gautam
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में आज दिनांक तक चुनौती नहीं दी गई है जिसके परिणामस्वरुप उक्त दस्तावेज एवं इंतकाल एक विधिक दस्तावेज है तथा वसीयत की वैधता का परीक्षण कर उसे राजस्व न्यायालयों द्वारा किसी भी रुप में निर्णित नहीं किया जा सकता है। जब तक वसीयत अस्तित्व में है प्रार्थीगण राजस्व न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में अंकित तथ्य अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 को प्रश्नगत भूमि बतौर एकल स्वामित्व की भूमि के विक्रय किया जाना स्वीकार है। शेष तथ्य अस्वीकार है तथा प्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में उक्त वर्णित पक्षकारो को प्रार्थना पत्र में पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति मे से जो हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को विक्रय किया गया है वह पूर्ण अधिकार स्वरूप विक्रय किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार सृजित नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 1 को मुरब्बा नम्बर 33 की 18 बीघा 10 बीस्वा कृषि भूमि अपने दादा गुरनाम सिंह से जरिये वसीयत दिनांक 25.06.2003 प्राप्त हुई है जिसके परिणामस्वरुप उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की एकल स्वामित्व की कृषि भूमि है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी इच्छानुसार अप्रार्थीगण को विक्रय की गई है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 में अंकित तथ्य अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 मुरब्बा नम्बर 30 की भूमि विक्रय करने की कोई चेष्टा नहीं कर रहा है तथा न ही वह कृषि विक्रय की जा सकती है चूंकि उक्त भूमि पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी का स्थगन नोट अंकित है ऐसी दशा में पुनः स्थगन जारी किया जाना विधिक रूप से भी न्यायोचित नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 में अंकित तथ्य अस्वीकार है प्रार्थीगण के पक्ष में किसी भी रूप में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों महत्वपूर्ण बिन्दु सिद्ध नहीं होते है तथा न ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई तथ्य अंकित किये है जिससे तीनों आवश्यक तत्व प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते हो अपितु जैसा कि अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के उपरोक्त चरणों में अंकित किया है प्रश्नगत भूमि में प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार सृजित नहीं होता है एवं न ही पंजीबद्ध दस्तावेजो व वसीयत के अस्तित्व मे रहते प्रार्थीगण अभिलिखित खातेदारो के विरूद्ध स्थगन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों महत्वपूर्ण कारक उत्तरदाता के पक्ष में साबित होते है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का स्थगन प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

बहस विद्वान अभिभाषकगण द्वारा सुनी गई। वकील प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि आवेदकगण के पिता गुरमीत सिंह (अनावेदक सं.–1) के नाम चक 6 ए छोटी में खाता संख्या 21/17 मुरब्बा नम्बर 30 किला नम्बर 11/3 की .139 है. कि.नं. 18/2 की .127 है. कि.नं. 19 सालम, कि.नं. 23 की 123 है. कुल 0.646 है. कृषि भूमि व [illegible] खाता सं. 12/22 मुरब्बा नम्बर 33 में 4.6930 है. भूमि थी जो [illegible] जा[illegible]द थी। गुरमीत सिंह ने बिना किसी विधिक अधिकार [illegible] अनावेदकगण सं. 2 व 3 को 3.3390 है. व अनावेदक सं. 4 [illegible] भूमि भिन्न भिन्न समय में बेच दी। उक्त कृषि भूमि में से गुरमीत सिंह ने .860 हिस्सा दलवीर सिंह को बेच दिया, दलवीर सिंह ने आशा कालड़ा को बेच दिया तथा आशा कालड़ा ने अनावेदकगण सं. 3 व 4 को बेचान कर दिया। वादग्रस्त भूमि जदी जायदाद थी, बेचने का अधिकार नहीं रखता था लेकिन फिर भी अपने

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:37:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हिस्से से अधिक बेच दी। आवेदकगण गुरमीतसिंह के पुत्र व पुत्री हैं जिनका वादग्रस्त भूमि में जन्म से अधिकार था। गुरमीत सिंह जदी जायदाद को बेचने का अधिकारी नहीं था जबकि उसने मुरब्बा नम्बर 33 की तमाम भूमि जो 24 बीघा 10 बिस्वा को खुर्द बुर्द करके बेच दी है। जो बैयनामें हुए हैं वे नल एण्ड वॉईड है जिनका आवेदकगण के हितों पर कोई असर नहीं है। आवेदकगण का इस पर जन्म से 1/3, 1/3 प्रत्येक का हिस्सा बनता है। गुरनाम सिंह के पास जो कृषि भूमि थी उसकी तथाकथित वसीयत 25–6–2003 जो बिना पंजीकृत थी, निष्पादित कर दिया। अनावेदक सं.1 द्वारा प्रश्नगत भूमि 4.693 है. में से समस्त भूमि का अन्तरण कर दिया है और अन्य भूमि जो मुरब्बा नम्बर 30 में पड़ती है उसे भी बेचने की फिराक में है। यदि वह भूमि भी बिक गयी तो आवेदकगण को नापूरा होने वाला नुकसान होगा, आयन्दा मुकदमेंबाजी बढेगी तथा दावा पेश करने का मकसद फौत जो जावेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वाद के लम्बनकाल तक प्रकरण में स्थगन को कन्फर्म किया जावे। **वकील अप्रार्थी की जवाब बहस यह रही कि** प्रश्नगत भूमि गुरमीत सिंह को जद्दी जायदाद (पैतृक) के रुप में प्राप्त न होकर अपने दादा स्व० गुरनाम सिंह पुत्र मंशा सिंह से जरिये वसीयत दिनांक 25.06.2023 प्राप्त हुई थी जिसमें प्रार्थीगण का विधिनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में किसी भी प्रकार से कोई हक व अधिकार नहीं बनता है अर्थात उक्त सम्पत्ति अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति न होकर स्वयं की एकल अधिकार की सम्पत्ति है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को साधिकार एकल स्वामी के रूप में विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय की गई है। विधिनुसार पिता के जीवनकाल मे उसे प्राप्त सम्पत्ति में वह चाहे किसी भी रूप में हो उसकी संतान प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रश्नगत सम्पत्ति पैतृक कृषि भूमि नहीं है बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये वसीयत अपने दादा से प्राप्त हुई है जो स्वअर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में आती है। वसीयत के आधार पर जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम इंतकाल दर्ज किया गया है वह विधिनुसार सही अंकित किया गया है तथा उक्त वसीयत को प्रार्थीगण द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में आज दिनांक तक चुनौती नहीं दी गई है। उक्त दस्तावेज एवं इंतकाल एक विधिक दस्तावेज है तथा वसीयत की वैधता का परीक्षण कर उसे राजस्व न्यायालयों द्वारा किसी भी रुप में निर्णित नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति मे से जो हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को विक्रय किया गया है वह पूर्ण अधिकार स्वरूप विक्रय किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार सृजित नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 1 को मुरब्बा नम्बर 33 की 18 बीघा 10 बीस्वा कृषि भूमि अपने दादा गुरनाम सिंह से जरिये वसीयत दिनांक 25.06.2003 प्राप्त हुई है जिसके परिणामस्वरुप उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की एकल स्वामित्व की कृषि भूमि है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी इच्छानुसार अप्रार्थीगण को विक्रय की गई है। अतः प्रार्थीगण का स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब बहस के समर्थन में प्रकरण संख्या 201/2016 अनवान जपमीत सिंह बनाम गुरमीत सिंह की फर्दअहकाम व वाद पत्र की प्रति, स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 862/2016 अनवान जपमीत सिंह बनाम गुरमीत सिंह की फर्दअहकाम की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 को प्रश्नगत आराजी अपने दादा स्व० गुरनाम सिंह पुत्र मंशा सिंह की कयशुदा भूमि जरिये वसीयत [illegible] 25.06.2023 से प्राप्त हुई थी। अप्रार्थी संख्या [illegible] वसीयत [illegible] होने से उक्त सम्पति अप्रार्थी संख्या 1 की एकल [illegible] की श्रेणी में आती है जिसे [illegible] प्रति [illegible] 2 व 3 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:37:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

साधिकार एकल स्वामी के रूप में विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय की गई है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में इसी भूमि से सम्बन्धित प्रस्तुत वाद प्रकरण संख्या 201/2016 अनवान जपमीत सिंह बनाम गुरमीत सिंह एवम् स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 862/2016 अनवान जपमीत सिंह बनाम गुरमीत सिंह में राजीनामा होने का कथन कर दिनांक 01.07.2019 को विड्रा कर लिया गया था। अप्रार्थी संख्या 1 अपनी भूमि पर साधिकार एकल स्वामी होने के आधार पर काबिज है एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 सदभावी केता हैं एवं रिकॉर्डेड खातेदार है जिनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिंनाक 08.09.2025 को लिखवाया जाकर उभ्यपक्ष को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(नयन गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:37:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner